संख्या- 122/2018/997/22-4-18-48(6)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-19 अगस्त, 2018

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को गर्मी से राहत देने हेतु सीलिंग फैन की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28319/आधु0-1/सीलिंग पंखे/2017, दिनांक 06 अगस्त, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को गर्मी से राहत देने हेतु 54 कारागारों में सीलिंग फैन लगाये जाने के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से निम्न विवरणानुसार 3889 पंखे क्रय किये जाने हेतु रू0 79,34,000/- (रूपया उन्यासी लाख चौंतिस हजार मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0	कारागारों का नाम	पंखों की संख्या	क्र0	कारागारों का नाम	पंखों की संख्या
1	केन्द्रीय कारागार बरेली	50	17	जिला कारागार बस्ती	24
2	जिला कारागार बदायूँ	60	18	जिला कारागार सिद्धार्थनगर	25
3	जिला कारागार पीलीभीत	06	19	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़	55
4	जिला कारागार शाहजहॉपुर	175	20	जिला कारागार फतेहगढ़	150
5	जिला कारागार रामपुर	50	21	जिला कारागार कानपुरनगर	75
6	जिला कारागार मुरादाबाद	50	22	जिला कारागार कानपुरदेहात	61
7	जिला कारागार बिजनौर	100	23	जिला कारागार कन्नौज	50
8	केन्द्रीय कारागार आगरा	60	24	जिला कारागार झांसी	48
9	जिला कारागार आगरा	100	25	जिला कारागार उरई	50
10	जिला कारागार मथुरा	120	26	जिला कारागार मेरठ	100
11	जिला कारागार फिरोजाबाद	25	27	जिला कारागार सहारनपुर	100
12	जिला कारागार मैनपुरी	46	28	जिला कारागार गाजियाबाद	150
13	जिला कारागार अलीगढ़	90	29	जिला कारागार बुलन्दशहर	40
14	जिला कारागार एटा	67	30	जिला कारागार गौतमबुद्धनगर	62
15	जिला कारागार गोरखपुर	100	31	जिला कारागार मुजफ्फरनगर	65
16	जिला कारागार मऊ	125	32	जिला कारागार बागपत	35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

33	उप कारागार देवबन्द	25	44	उप कारागार महोबा	20
34	जिला कारागार लखनऊ	127	45	जिला कारागार वाराणसी	60
35	जिला कारागार उन्नाव	24	46	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	110
36	जिला कारागार हरदोई	100	47	जिला कारागार गाजीपुर	93
37	जिला कारागार रायबरेली	50	48	जिला कारागार ज्ञानपुर	22
38	केन्द्रीय कारागार नैनी	160	49	जिला कारागार मिर्जापुर	100
39	जिला कारागार फतेहपुर	100	50	जिला कारागार जौनपुर	50
40	जिला कारागार प्रतापगढ़	30	51	जिला कारागार फैजाबाद	100
41	जिला कारागार कौशाम्बी	30	52	जिला कारागार बाराबंकी	100
42	जिला कारागार बांदा	55	53	जिला कारागार गोण्डा	80
43	जिला कारागार हमीरपुर	109	54	जिला कारागार बहराइच	30

(1) सीलिंग फैन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18.02.2017-97(ल0उ0)/2015, दिनांक 23 अगस्त, 2017 "जो उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में जैम पोर्टल की व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में है", में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(2) सीलिंग फैन का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्त-पुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(4) आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये सीलिंग फैन की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(5) स्वीकृति उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) सीलिंग फैन का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार को होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30.11.2018 तक अवश्य कर लिया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- उक्त कारागारों में पूर्व में स्थापित एवं वर्तमान में स्थापित कराये जा रहे पंखों की संख्या का सत्यापन सम्बनिधत कारागार अधीक्षक से कराकर संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जा

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-122/2018/997(1)/22-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

भवदीय,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।